(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1] दसवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 2

गुरुवार,
30 दिसम्बर, 1993

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11·00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : शपथ ग्रहण।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह जो वीडियो फिल्म बन रही हैं यह किस व्यवस्था के तहत बन रही है ?

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान

(सचिव, विधान सभा द्वारा/नाम पुकारे जाने पर)

क्र. सं.	सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1.	श्री उदयलाल आंजना	शपथ	हिन्दी
2.	श्री चेनाराम	शपथ	हिन्दी
3.	श्री दलजीत सिंह	शपथ	हिन्दी

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थानी भाषा में शपथ

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थानी में शपथ लेना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने एक रूलिंग दी थी कि आप राजस्थानी में ओथ नहीं ले सकते। मैंने यह जानकारी हासिल की है कि पार्लियामेंट में और विभिन्न असेम्बलीज के अन्दर कौंकणी

(श्री खेतसिंह राठौड़)

में, मणिपुरी में और नेपाली इन तीनों भाषाओं में पार्लियामेंट के अन्दर भी शपथ ली गयी है और विभिन्न असेम्बलीज में भी इन्हीं भाषाओं के अन्दर शपथ ली गई है, हालांकि ये भाषाएं 10वीं अनुसूची में बहुत बाद में आयी हैं। उससे पहले भी ये इसी प्रकार से शपथ लेते रहे हैं। तो राजस्थानी के लिए इतना आग्रह है और हमारे मुख्य मंत्रीजी भी राजस्थानी के बहुत ही हिमायती हैं, मैं समझता हूं इसमें क्या दिक्कत है। अगर कोई माननीय सदस्य राजस्थानी में अपनी शपथ ग्रहण करना चाहता है तो उसे करने दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी में शपथ लेने की बात परसों भी यहां पर सदन में उठायी गयी थी और आज भी आपके सम्मुख पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने उठायी। आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें राजस्थानी में शपथ लेने की आपके द्वारा आज्ञा प्रदान की जाय। मने ई बात रो बहुत अफसोस है कि जका लोग आपसूं इण बात री प्रार्थना कर रिया हैं बे खुद ही राजस्थानी मां नहीं बोल रिया है। शेरगढ़ सूं आवण वालां माननीय सदस्य ने जो बात कही बा विशद्ध हिन्दी र मांय इण बात री अभिव्यक्ति अठै इ सदन र प्रांगण माथे दे रिया हैं। अगर आप राजस्थानी भाषा को सशक्त अभिव्यक्ति रो माध्यम समझो हो और हिन्दुस्तान रो संविधान के शिड्यूल 8 र मायबो इण रो समावेश होणो बहोत आवश्यक है तो आप जो कुछ भी प्रार्थना करो या निवेदन करो तो आपरी भाषा मांय तो करो। बोलो तो हिन्दी और अंग्रेजी मांय भाषण देवो और उणर बाद राजस्थानी री वकालत करो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जब तक आपने यह स्वीकार नहीं किया हो कि आप राजस्थानी में बोल सकते हैं या राजस्थानी में शपथ ले सकते हैं तब तक मुझे हिन्दी में कहना ही आवश्यक होता है।

श्री अध्यक्ष : बोल तो सकते हैं, ऐसी परम्परा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : अठै इण सदन मां बहोत सा माननीय सदस्य रिया हैं, जियां बालूराम जी हां, शायद मुख्य मंत्री जी जानते होंगे, बा हमेशा ही आपरी राजस्थानी भाषा में बोलता रिया हैं और भाषा रे बोलण रे सम्बन्ध में किणी प्रकार को प्रतिबन्ध नहीं है। इण वास्ते आप कम सूं कम जो माननीय सदस्य राजस्थानी भाषा में शपथ लेणो चाहवै तो उणो कम सूं कम निवेदन तो उणी भाषा में करणो चाहिजे। आप तो हिन्दी में प्रचार कर रिया हो। अठे, हिन्दी रा प्रकाण्ड विद्वान हो, आप हिन्दी रे मायने एम. ए. पास करी है और आपनै वायवा बोल में मारवाड़ी रा दूहा साइट किया है उण प्रोफेसर्स के सामने। तो वा बात आपने आपणी भाषा में कहनी चाहिजे।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले यह तो तय हो जाय कि राजस्थान की भाषा

(श्री विष्णु मोदी)

कौनसी है ? राजस्थान के अन्दर विभिन्न भाषाएं हैं ।.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : एक-एक माननीय सदस्य बोलें ।....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, कल हमारे लिए आपने यहां ब्रज भाषा में शपथ लेने की मनाही कर दी थी ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : राजस्थानी में नहीं, हम ब्रज भाषा में लेंगे, कोई हाड़ौती में लेगा, कोई दूसरी भाषा में लेगा ।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करनी चाहूं हूं कि 1985 में माननीय यदुनाथ सिंहजी ने यहां पर ब्रज भाषा में शपथ ली थी ।

श्री विष्णु मोदी : मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले इस बात का तो फैसला हो जाय कि राजस्थान की हमारी कौनसी भाषा है उसके बाद में जो भी माननीय सदस्य जिस भाषा में लेना चाहें उसमें लें इसकी सबको छूट होनी चाहिए । लेकिन इस बात का भी निर्णय मैं समझता हूं कि इस सदन में हो जाय ।

एक माननीय सदस्य : टाई लगाकर आये हैं, टाई लगा कर तो अंग्रेजी में बोलते हैं ।

श्री विष्णु मोदी : मैं टाई लगाकर आया हूं इससे तो कोई मतलब नहीं है लेकिन यह चर्चा का विषय है । (व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : जो हम बोलते हैं वही राजस्थानी भाषा है । हमको जो बोलते हैं वह बोलने दिया जाय । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । ...(व्यवधान)... सदन के नेता कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा का प्रश्न इस शपथ के साथ जोड़कर ...(व्यवधान)...

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : शपथ के साथ ही नहीं, यह राजस्थान की जनता की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थानी भाषा के सम्बन्ध में जो हम अपना समर्थन दे रहे हैं उस समर्थन के साथ मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं । अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि शपथ जो भी आपका आदेश होगा उस भाषा में या बोली में ली जायेगी, मैं उस मामले में आपके आदेश के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता । लेकिन माननीय सदस्यों की जिस प्रकार की भावना है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि भाषा के प्रश्न पर हम आपस में बैठकर इस प्रकार से सारी व्यवस्था को चलायें जिससे निश्चित रूप से संविधान की दसवीं सूची में इस भाषा को शामिल किया जा सके । इस सम्बन्ध में पहले भी प्रयत्न हुए हैं लेकिन किसी न किसी विरोध के कारण वे प्रयत्न

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सफल नहीं हुए। मुझे आज माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखकर लगता है कि हम आपस में बैठकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिससे कि इस भाषा को प्रोत्साहन मिले।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

मैं शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि अन्य प्रदेशों में अलग-अलग स्थानीय भाषाओं में शपथ ग्रहण की हैं। कुछ भाषाओं के उदाहरण दिये। तो उसका कोई उदाहरण...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपनी नोलेज से नहीं कहा ...

श्री अध्यक्ष : तो उसका कोई उदाहरण पुस्तकों में या कहीं है क्या ? ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है क्या ? मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपनी नोलेज से नहीं कहा, इनको बताया गया सो बोल दिया।

श्री खेतसिंह राठौड : नहीं। मुझे बतलाये गये के अनुसार नहीं, मैंने पालियामेंट के एक मैम्बर से बात की है और उन्होंने मुझे यह कहा कि पालियामेंट के अन्दर भी नेपाली के अन्दर और मणिपुरी के अन्दर शपथ ली गयी है और वह मान्य की गयी थी। तब मैंने आपसे यह निवेदन किया। यों मेरा प्रगाढ़ ज्ञान है इन बातों में। इसलिए मैं कोई भी बात कहूंगा सदन के अन्दर आप सोचते हैं, जैसा विरोधी दल के नेता ने कहा, एम. ए., एल. एल. बी. हूं और वह भी सन् 1945 का हूं, कोई नया नहीं हूं। बहुत कुछ जानता हूं ...

श्री भीमराज भाटी (पाली) : सदन के नेता की इच्छा है बोल दो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोल दो, मुझे क्या आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह।

एक माननीय सदस्य : राजस्थानी का मतलब मारवाड़ी होगा...

श्री हरिसिंह (महुआ) : राजस्थानी का मतलब मेवाड़ी होगा ...

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य इन्टरप्रिटेशन लगा रहे हैं, यह गलत है।.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेवाड़ी में बोलिये, मेवाड़ी में, मेवाड़ी भाषा में लीजिए आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : राजस्थानी का मतलब मेवाड़ी होगा। राजस्थानी का मतलब मेवाड़ी होगा, राजस्थानी का मतलब हाड़ौती होगा।

एक माननीय सदस्य : क्योंकि मेवाड़ी कम से कम आधा राजस्थान कवर करती है तो मेवाड़ी में बोलिये आप ...[व्यवधान]

श्री अरुण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी ब्रज भाषा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भीमराज, आप कृपया अपने शपथ का प्रारूप जो राजस्थानी में बोलना चाहते हैं, वह मुझे दीजिए।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी का मतलब जयपुर से चलें तो ढूंढाड़ी, मेवाती, ब्रज भाषा, हाड़ौती, मेवाड़ी, जोधपुरी, बीकानेरी और शेखावाटी हैं। यह सब राजस्थानी भाषाएं हैं। इसलिए किसी एक को आप राजस्थानी भाषा डिक्लेयर नहीं कर सकते।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, कल आपकी यह रूलिंग हुई है कि ब्रज भाषा में हम शपथ नहीं ले सकते। उसके बाद आज यह हमारे अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है ? हमारी भी भाषा ब्रजभाषा है, हमको आप अलाउ कर दें ब्रजभाषा में शपथ लेने के लिए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, हम इसको राजस्थानी भाषा मानने को तैयार नहीं है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यह सरासर अन्याय क्यों हो रहा है ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप इसका दूसरा नाम रखिये, राजस्थानी भाषा नहीं है।... (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : ब्रज के लोग, कोई दूसरी श्रेणी के नागरिक हैं यहां ?.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह इस प्रकार से राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का एक बैक डोर से षड्यंत्र हो रहा है।

श्रीमती बीना काक : अरुण सिंह जी स्वयं तो अंग्रेजी में लेते हैं शपथ और अब ब्रज भाषा की बात कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, यह बात कह रहे हैं, कर लें। हमने ब्रज भाषा में शपथ लेने के लिए निवेदन किया था, हम ब्रज भाषा में शपथ ले सकें....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार यहां कमलाजी ने राजस्थानी के बारे में गड़बड़ बात कही है वह बहुत गलत बात है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : ब्रज भाषा बोलना चाहते हैं हम।

श्रीमती उजला अरोड़ा : साढ़े चार करोड़ की भाषा राजस्थानी है और राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में पांच-पांच किलोमीटर पर भाषा की थोड़ी प्रवृत्ति बदलती है इसका अर्थ यह नहीं कि राजस्थान की भाषा राजस्थानी नहीं है। आप इस तरह की बात करते हैं, बड़े अफसोस की बात है। अध्यक्ष महोदय, मन में जानते हैं, मन से चाहते हैं पर उनकी कोई मजबूरी हैं, इस चीज को हमें समझाना चाहिए। राजस्थानी को मान्यता अपने स्थान पर मिले, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजस्थानी का मखौल उड़ाना सबसे गलत बात है। ढूंढाड़ी का अपना महत्व हो सकता है, हाड़ौती का अपना महत्व हो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सकता है, मैं समझती हूं कि राजस्थानी भाषा कुल मिलाकर राजस्थानी भाषा है, उसका महत्व अपने स्थान पर है उसका मजाक कमलाजी को नहीं उड़ाना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था मजबूरी में है। हम चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में जैसा मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि बैठ कर कोई बात तय कर ली जाय....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : राजस्थानी भाषा कोई नहीं है....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इस मामले की गरमा गरमी को दृष्टिगत रखते हुए.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री धनखड़। मैंने अवसर दिया है इनको।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, इस मामले की गर्मागर्मी को देखते हुए, इस मामले में भारी दिलचस्पी को देखते हुए मैं समझता हूं कि इस पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए आप समय निर्धारित करें ताकि इस मामले का एक बार विधान सभा की तरफ से निश्चित रूप से यदि कोई मत सामने आता है तो आठवीं सूची के अन्तर्गत इसको सम्मिलित कराने में सब लोग मिलकर मदद कर सकते हैं। किसी प्रांत की एक भाषा हो ऐसा कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है और राजस्थान में भी नहीं हो सकता। मैं शेखावाटी के बारे में भी बात करूंगा, कोई ब्रज भाषा के बारे में बात करेगा पर राजस्थानी का अगर इन्क्लूजन ऐट्थ शिड्यूल में हो जाता है तो निश्चित रूप से राजस्थानियों के लिए गौरव का एक मौका आयेगा। तो मेरा सुझाव है कि सदन को इस मामले में व्यापक, विस्तृत विचार-विमर्श करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसके लिए आज ही बढ़िया मौका है, आज ही बहस करा ली जाय।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस प्रदेश को राजस्थान के नाम से जाना जाता है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि राजस्थानी में शपथ ग्रहण करनी चाहिए।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती उजलाजी अरोड़ा ने यह उल्लेख किया कि मैंने किसी भाषा का या राजस्थानी भाषा का कोई मजाक किया है। उन्होंने शायद गलत समझा। मैंने यह निवेदन किया है कि आज के दिन किसी एक डाइलेक्ट को राजस्थानी भाषा डिक्लेयर करने की स्थिति नहीं हैं। अगर राजस्थानी भाषा आज के दिन बनानी है तो यह सारी डाइलेक्टस, जो अलग-अलग जगह की हैं उनको ब्रेकेट में लगा कर उसके सामने राजस्थानी भाषा लिख दें तो ठीक है। बाकी एक किसी भाषा, जो किसी एक क्षेत्र में बोली जा रही है, आज के दिन राजस्थानी भाषा डिक्लेयर करेंगे तो वह अनुचित होगा, यह कहा है। मैंने कोई मजाक नहीं बनायी किसी भी डाइलेक्ट की।

(7)

श्री अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह

श्रीमती उजला अरोड़ा : वर्तमान में टी. वी. पर, रेडियो पर जो कार्यक्रम आते हैं वह राजस्थानी भाषा कही जाती है। आप किस को भाषा कहेंगे अब कोई नयी स्थिति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य को अवसर दिया है, बैठ जायें कृपया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी अ, आ, इ, ई, सीखने की स्थिति नहीं रही। राजस्थानी भाषा बड़ी समृद्ध भाषा है इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि उसमें कोई समृद्धता नहीं है, कोई नये सिरे से शुरु करने वाली बात है। मैं समझती हूं, इस तरह अच्छी बात नहीं हैं।

श्रीमती कमला : नहीं मैंने यह नहीं कहा। (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, शायद भाषा ज्ञान की अल्पज्ञता के कारण ही माननीय सदस्या कह रही हैं कि राजस्थानी भाषा समृद्ध भाषा है। डिंगल भाषा समृद्ध भाषा है, यह तो मानने के लिए तैयार हैं। डिंगल भाषा का एक स्वरूप है, एक इतिहास है और डिंगल भाषा का अपना एक व्याकरण है, यह तो समझ में आता है लेकिन राजस्थानी भाषा के नाम पर यहां, जिस भाषा को थोपने की कोशिश की जा रही है वह भाषा न डिंगल है, न वह पिंगल में आती है।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सदन में अवधि भी बोली जाती है, इसका मतलब अवधि की वकालत नहीं की गयी है। वहां पर ब्रज भाषा भी बोली जाती है पर कोई ब्रज भाषा की वकालत नहीं की गयी है। हिन्दी आम बोल-चाल की भाषा है, उसी की वह बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करु, आज कोटा में हाड़ौती भाषा बोली जाती है, यहां जयपुर में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, अलवर में मेवाती भाषा बोली जाती है, भरतपुर, सवाई माधोपुर के पार्ट और करौली में ब्रज भाषा बोली जाती है, धौलपुर में बुन्देली का असर आ गया, शेखावाटी में शेखावटी का असर आ गया। नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, फिर भीलों की अपनी अलग भाषा है, गंगानगर की अपनी अलग भाषा है, खेतड़ी की अपनी भाषा अलग है। आप किस भाषा को राजस्थानी भाषा कहेंगे, पहले इसका स्वरूप निर्धारित करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था दी जा रही है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इजाजत दे दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह। आर्डर, आर्डर। बैठ जाइये। श्री दीपेन्द्र सिंह।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, काल जब शपथ ग्रहण समारोह चाल रियो हो जणा आपने मैं आ बात निवेदन करी और मैं एक ही बात निवेदन करी, म्हे जखा लोगां को प्रतिनिधित्व करां, जखा गांव, घर में जन्म्यो, जखां लोगों का वोट लिया, बांकी बोली आपके सामने बोलनो चाहूं। प्रश्न ई बात को कोनी कि ढूंढाड़ी सूं विरोध है या शेखावटी सूं विरोध है या ब्रज भाषा सूं विरोध है या मारवाड़ी सूं लगाव है। प्रश्न ओ है कि जखां लोगों की बात कहणी चाहवा हां, बांकी भाषा में वा बात नहीं कह सका तो मेरे साथ न्याय कोनी होसी।

दूसरी चीज, राजस्थानी भाषा कुणसी होवे, हवे कुणसी कोनी, ईको फैसलो सदन करे, कमेटी करे, सरकार करे या विद्वान लोग करे, मने ईं में एतराज कौनी। जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थानी भाषा को पाठ्यक्रम चला दियो, एक पहलू सामने आयो। राजस्थान की जनता की भावना है कि चुन्येड़ा प्रतिनिधि म्हांखां घर की, गांव की बोली में बोलकर म्हांखी बात थांके सामने रख सकां। केवल ई बात की इजाजत चाही है। मारवाड़ी में बोलणे वाले मारवाड़ी बोलें, ढूंढाड़ी में बोलणे वाले ढूंढाड़ी बोलें, हाड़ौती में बोलणे वाले हाड़ौती बोलें। आपका मां-बाप की भाषा, आपका गांव की भाषा, आपकी जमीन की भाषा, आपका पानी की भाषा चावे जो सदस्य बोलें, वीं पर रोक नहीं लगाई जाय, उणे अधिकार दियो जाय, थांसूं म्हारी तो या ही प्रार्थना है।

दूसरो निवेदन यो है, माननीय सदन के नेता अभी आपके सामने अरज करी कि ईं मसले को हल कर लियो जाय मिल करके, तो माननीय सदन के नेता सूं आपकी मारफत निवेदन करनो चाहूं हूं कि हल करबा को मतलब टालू मिक्सचर नहीं, एक टाइम दे दियो जाय कि अत्ता दिन में विरोधी पक्ष का नेता बैठ जायं, सदन के नेता बैठ जायं, माननीय अध्यक्षजी की अध्यक्षता में बैठ जायं। पांच दिन में, सात दिन में, आठ दिन में, सदन का सारा लोगों को विश्वास आप तीन्या में है। आप फैसलो कर दो जी सूं कि इस प्रश्न का हमेशा के लिए हल किया जा सके। अतणो ही मने आपसे निवेदन करनो है। धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप मीणा : (व्यवधान) ... हम पूर्वी राजस्थान के लोग अलग-अलग भाषा बोलते हैं जो हमारी ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। इसलिए हमारी भाषा का भी ध्यान रखा जाये और हमारे मीणा समाज के लोग, विशेष तौर से, जो भाषा बोलते हैं उसका भी ध्यान रखा जाये ताकि हम उसी के अन्दर अपनी शपथ ले सकें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि वह अपनी भाषा बोलना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि यहां हम सभी तरह की बोली बोलने वाले लोग हैं जैसा वह कह रहे थे, कोई हाड़ौती में बोलेगा, कोई मारवाडी में, कोई मेवाड़ी में, कोई ब्रज भाषा में बोलेगा। हम लोग तो सब समझते नहीं है उनकी भाषा। यहां असेम्बली में तो वही भाषा बोली जानी चाहिए जो सारे सदस्य समझ सकें। वह

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

अपने भाषण दें गांवों में जा करके तब अपनी भाषा में दें लेकिन यहां पर तो जो सब लोग समझ सकें वही भाषा काम आयेगी। अपनी-अपनी भाषा में हम सब बोलने लगेंगे तो किसी की कोई भाषा ही नहीं समझेगा।

दूसरी बात जैसा मैंने आपको पहले निवेदन किया कि यहां पर इतनी भाषाएं हैं कि मारवाड़ी राजस्थानी नहीं हो सकती। मारवाड़ी अलग है, मेवाड़ी अलग है, हाड़ौती अलग है, ब्रज भाषा अलग है। सभी भाषाएं अलग-अलग हैं। तो उनको एक राजस्थानी भाषा हम नहीं मान सकते। ... (व्यवधान) ...

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष जी मैं केवल एक मिनट बोलना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय हरिसिंह जी, कृपया बैठें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बोली और भाषा में बहुत बड़ा फर्क है। बोली शेखावाटी की हो सकती है, बोली आदिवासियों की हो सकती है लेकिन भाषा के लिहाज से यदि देखा जाये तो साहित्य जिस भाषा का है वही राजस्थानी भाषा है। इसमें हरेक रस के अन्दर बहुत कविताएं है, सोरठे हैं, दोहे हैं, काव्य हैं, लेख हैं, यह राजस्थानी भाषा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाषा और बोली में फर्क है। ब्रज भाषा जरूर है और इसी प्रकार से राजस्थानी भाषा अलग से है और इसका एक डिपार्टमेंट भी जोधपुर में खुला हुआ है। ... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : कृपया अव्यवस्था न फैलाएं। अब आगे चर्चा समाप्त की जाती है इस विषय पर। अध्यक्षीय व्यवस्था दी जा रही है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इजाजत दी है बोलने की ... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के एक-एक सदस्य का जो भी अधिकार हैं उसकी सुरक्षा करने वाले आप हैं और मेरे अधिकार की बात है उसकी सुरक्षा आप करेंगे। जब मैंने अपनी बात रखी थी तब आपने मुझे ब्रज भाषा में शपथ लेने के लिए मना कर दिया ...

व्यवस्था

राजस्थानी भाषा में शपथ

श्री अध्यक्ष : कृपया, आसन पैरों पर है।

आज सदन के समक्ष राजस्थानी में शपथ लेने का प्रश्न फिर पैदा हुआ है और काफी गरमा गरम चर्चा भी हुई। यहां राजस्थान में कई बोलियां बोली जाती है और उनको भाषा का दर्जा देना चाहते हैं। बारह कोस में बोली पूरे हिन्दुस्तान में बदलती है और हिन्दी का भी कोई एक स्थान नहीं है। कहीं हिन्दी बोली जाती हो ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश हिन्दी भाषी प्रदेश है लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में अनेक तरह की बोलियां हैं। तो बोलियों

(श्री अध्यक्ष)

में और भाषाओं में फर्क है। क्योंकि पहले व्यवस्था दी जा चुकी हैं सदन में वातावरण गर्मा गया है इसलिए पूर्व के निर्णय को बदलने की स्थिति में मैं नहीं हूं। लेकिन एक बात निवेदन कर दूं चाहे राजस्थान का, बूंदी का साहित्यकार हो, चाहे बांसवाड़ा, जहां बागड़ी भी बोलते हैं, का साहित्यकार हो, नाथूदान जी मेहरिया या क्या नाम हैं अभी जीवित भी हैं, अच्छे कवि है, अलवर वालों को ले लीजिए, बीकानेर वालों को ले लीजिए उनका जितना भी गद्य और पद्य का साहित्य है वह एक ही भाषा में है और वह राजस्थानी में है। इसलिए बोली और भाषा में फर्क है। राजस्थानी एक सक्षम भाषा है इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आज यहां भी देखा।

निर्णय हो चुके हैं कि इस शपथ का सार क्या है। इसके मूल में तीन सिद्धान्त हैं। पहला यह कि "मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूं" दूसरा "भारत की प्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूंगा" और तीसरा है, "जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।" अब आगे इज और या उस तरह से लगाते हैं उससे कोई फर्क नहीं आता है। एकाध उदाहरण ऐसे हैं हाई कोर्ट के कि यह पर्याप्त है कि तीन बातें किसी भी भाषा में आ जाती है तो वह शपथ है, वह कानून की दृष्टि में पर्याप्त है। जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, क्योंकि यह विवाद का विषय बन चुका है इसलिए मैं असमर्थ हूं निर्णय को बदलने में आगे सभी पक्ष के माननीय सदस्य बैठकर भाषा के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित कर लेंगे। वह भाषा का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। एकदम इसको हल भी नहीं किया जा सकता। इसलिए कृपया आज आप हिन्दी में ही शपथ ग्रहण कर लें।

श्री भीमराज भाटी : पहली सगला जणां मिलर ई बात रो फैसलो कर ल्यो मैं पाछे ही शपथ लेऊं। मैं, अध्यक्ष जी, सदन री अवमानना नहीं करनी चाहूं हूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्य, यहां फैसला इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। फैसला होने में समय लग सकता है ... (व्यवधान) ... एक दिन में नहीं हो सकता है यह फैसला।

श्री भीमराज भाटी : मने कोई उतावल कोनी।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप कई अधिकारों से वंचित रह जायेंगे।

श्री भीमराज भाटी : कोई बात कोनी, मैं म्हारी भाषा मैं तो शपथ लेऊं।
(.. व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : मेरा नम्र निवेदन है कि आप शपथ ले लीजिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, समयावधि तय नहीं हो तब तक मामला उलझा हुआ है इसलिए आप समयावधि तय करवा दें तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि सबको समझा करके एक राय बनाई जा सके इस कोशिश में समय लगेगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : समयावधि तय करवा दें जिससे कि मामला सुलझ जाय वरना इनडेफिनेड पीरियट के लिए मामला लम्बा पड़ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : यह सम्भव नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी के प्रबल समर्थक द्वारा अध्यक्षता करते हुए यदि न्याय नहीं मिला तो कभी नहीं मिल पायेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम एक समय तो निश्चित कर दें।... (व्यवधान) ...

श्री भीमराज भाटी : 15 दिन में, 20 दिन में जब भी फैसला होगा ..

श्री अध्यक्ष : आपने वातावरण देखा है और कई वर्षों से यह कोशिश हो रही है। मामला विवाद में उलझा हुआ है। इसलिए आप व्यक्तिगत तौर पर इसको इस तरह से न लें। कृपया आप शपथ ग्रहण कर लीजिए। ...(व्यवधान)... प्रारम्भ कीजिए।

श्री भीमराज भाटी : अब सब जणां री इच्छा या ही है कि मैं आज ही ले ल्यूं तो आज ही...

श्रीमती कमला : राष्ट्र भाषा में ले लो कोई बात नहीं है, राष्ट्र भाषा सबसे बड़ी है।

श्री भीमराज भाटी : मैं म्हारो राजस्थानी रो सरेण्डर किये बिना ही शपथ लेऊं हूं।

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

नव निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान

क्र. सं.	नाम सदस्य	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
(4)	श्री भीमराज भाटी	शपथ	हिन्दी
(5)	श्री महावीर प्रसाद जैन	शपथ	हिन्दी
(6)	श्री मुलकराज	शपथ	हिन्दी
(7)	श्री राकेश मेघवाल	शपथ	हिन्दी
(8)	श्री हरजीराम बुरडक	शपथ	हिन्दी

(12)

अध्यक्ष का निर्वाचन

श्री हरिशंकर भाभड़ा का अध्यक्ष पद पर निर्वाचन

श्री अध्यक्ष : श्री किशन सोनगरा, अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (राज्य मंत्री कारागृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरिशंकर भाभड़ा, सदस्य विधान सभा (विभाजन संख्या 189) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती शशी दत्ता ।

श्रीमती शशी दत्ता (राज्य मन्त्री, विधि) : अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह शेखावत ।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरिशंकर भाभड़ा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 189) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का का अनुमोदन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री सुजान सिंह यादव ।

श्री सुजान सिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरिशंकर भाभड़ा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 189) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरजंट सिंह

श्री गुरजंट सिंह (उपमंत्री, सिचाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि श्री हरिशंकर भाभड़ा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 189) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष . श्री भगवान दास ।

श्री भगवान दास (चौहटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि श्री हरिशंकर भाभड़ा, सदस्य विधान सभा (विभाजन संख्या 189) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर भारद्वाज ।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञान सिंह।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरिशंकर भाभड़ा, सदस्य विधान सभा (विभाजन संख्या 189) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नरेन्द्र कंवर

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मंत्री, पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव कल दिया था उसको वापस लेती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपा राम।

श्री रूपा राम (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कल प्रस्ताव दिया था उसको वापस लेता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव वापस लिये हैं वह मूव नहीं हुए, वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। या तो यह माना जाय कि मूव नहीं हुए, अगर मूव हुए हैं तो उनको सदन की अनुमति से विथड्रा कर लें। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मूव किये ही नहीं।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : सदन के नेता इन मामूली टेक्निकलटीज में फंस कर क्यों चीज को खराब कर रहे हैं ?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मूव हुआ है, सबके सामने पहुंचा है तो इसको रखा जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप इस पर विचार कर लीजिये। अगर यह मूव नहीं करते हैं तो मूव नहीं किया हुआ मान लिया जाये। लेकिन उन्होंने यह कहा है कि मैं इसको वापस लेता हूं। शब्द जो यूज किये गये हैं, वापस लेता हूं, यह कहा है।

श्री परसराम मदेरणा (गुढामालानी) : वापस लेने का अभिप्राय यह है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं। वापस लेने का मतलब ही यही है कि मूव ही नहीं कर रहे हैं जब ही तो वापस ले रहे हैं। आप इसकी बहुत सरल टेक्निकल्टी में जा रहे हैं। विथड्रा कर दिया, मूव नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि जब माननीय सदस्य विथड्रा कर रहे हैं इसका मतलब है कि वह मूव करना नहीं चाहते हैं। स्थिति बहुत साफ है।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष का निर्वाचन, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

जो प्रस्ताव श्री श्रीकिशन सोनगरा [विभाजन संख्या 175] ने प्रस्तुत किया है इस आशय का है कि श्री हरिशंकर भाभड़ा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 189) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष

(श्री अध्यक्ष)

निर्वाचित किया जाय और जिसका समर्थन श्रीमती शशी दत्ता (विभाजन संख्या 165) ने किया है। इसलिए उस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा जाता है।

प्रश्न यह कि जो प्रस्ताव श्री श्रीकिशन सोनगरा (विभाजन संख्या 175) ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री हरिशंकर भाभड़ा (विभाजन संख्या 189) राजस्थान विधान सभा के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किये गये।

(11·33 बजे)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

एक माननीय सदस्य : इधर तो मेहरबानी रखना।

श्री अध्यक्ष : आज तो आपने मेहरबानी की है।

बधाई एवं शुभकामना
श्री हरिशंकर भाभड़ा के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचन पर आपको बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने उस पुरानी परम्परा का निर्वहन किया है, जिसके कारण आज तक अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध सम्पन्न हुआ है। राजस्थान विधान सभा की जिस प्रकार की परम्परा रही है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की स्वस्थ परम्पराओं का निर्वहन करने में राजस्थान किसी भी राज्य की विधान सभा से पीछे नहीं रहा। धीरे-धीरे यह बात और भी स्पष्ट हो गयी कि प्रशासनिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक शासन जनता का प्रतिनिधित्व करता है और सर्वमान्य यह व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ही विधान सभा के चुनाव होते हैं और चुनावों के बाद विधान सभा का संचालन किस प्रकार से हो उसके लिए अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। मेरा विश्वास है कि आपका जहां निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, आपका दायित्व निश्चित रूप से बढ़ा है। मैं आपको अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और सदन की ओर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि सदन की स्वस्थ परम्पराओं को बनाने में और उनको अक्षुण्ण बनाये रखने में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और इस सदन में पुनः इस प्रकार की परम्पराओं को और बल देंगे जिसके कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम-जनता का विश्वास उत्पन्न हो और हम जनता का सही प्रकार से प्रतिनिधित्व करके विधान सभा के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करा सकें।

मैं आपके प्रति शुभकामना प्रकट करता हूं कि आप निश्चित रूप से सदन की परम्परा बनाये रखने में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम सब मिलकर इस सदन की गरिमा को बढ़ायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (गुढामालानी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दसवीं विधान सभा के इस गौरवमय अध्यक्ष के पद पर आपका निर्विरोध निर्वाचन होने पर मैं प्रतिपक्ष की ओर से आपको हार्दिक बधाई अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी नवीं विधान सभा के कार्यकाल में आपने इस पद को सुशोभित किया है। आपने अपनी कुशाग्र बुद्धि, विद्वता और संसदीय ज्ञान की छाप सदन पर निश्चित तौर पर छोड़ी है। इस अवधि में आपने पीठासीन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलनों में और कामनवेल्थ पार्लियामेण्ट्री एसोसिएशन के विदेशों में हुए सम्मेलनों में भी भाग लेकर उस संसदीय ज्ञान में निश्चित तौर से अभिवृद्धि की है, ऐसी मेरी मान्यता है।

अध्यक्ष महोदय, सदन में आसन सभी पक्षों को संरक्षण प्रदान कर सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। सदन की कार्यवाही निर्विघ्न सम्पन्न हो और सदन का सुचारु और नियमानुसार संचालित किया जा सके इसके लिए मैं प्रतिपक्ष की ओर से आपको आश्वास्त करता हूं कि हमारा आप को अनवरत सहयोग मिलता रहेगा। अध्यक्ष की प्रतिपक्ष के दायित्व के निर्वहन में महती भूमिका रहती है। आपका सोच, आपकी अवधारणाएं, आपकी निष्पक्ष व्यवस्थाएं और जब सदन उत्तेजित होता है उस वक्त आपका स्थितिप्रज्ञ दृष्टिकोण सदन के संचालन के अन्दर एक महती भूमिका निभाता है। हम यहां इस सदन में दसवीं विधान सभा में जनता के प्रतिनिधि के तौर पर आये हैं और जन भावनाओं को मुखरित करने में, जन-समस्याओं के निराकरण में आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि प्रतिपक्ष को अपने दायित्व का निर्वहन करने का आप अवसर प्रदान करते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपका निर्विरोध निर्वाचन संसदीय परम्पराओं और लोकतंत्रीय मर्यादाओं को और सशक्त बनायेगा।

अन्त में मैं एक बार पुनः आपको बधाई अर्पित करते हुए आश्वस्त करता हूं कि प्रतिपक्ष अनवरत आपके प्रति सदैव सम्मान प्रकट करता रहेगा।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन की कार्यवाही का फिल्मांकन

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, मैं चेयर से यह जानना चाहता हूं कि टी. वी. का कवरेज हो रहा है, किस रूल के तहत इनको परमिशन मिली है सदन में आने की ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सारे फोटो खिंचवा लिए और अब एतराज कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मुख्य मंत्री महोदय, काफी मौका मिलेगा आपसे बात करने का लेकिन वास्तव में मैं इस सदन की जो मर्यादा है उसके तहत ऑब्जेक्ट करता हूं कि या तो कोई चेयर की रूलिंग हो पूर्व में, नहीं तो बगैर परमिशन के इनको अन्दर नहीं आना चाहिए था। गैलेरी से करें भले ही।

श्री सुखलाल सैंगचा (रायपुर) : अध्यक्ष

(16)

(श्री सुखलाल सैंणचा)

महोदय, मेरा भी निवेदन करना है कि आपको राजस्थान की जनता ने चुनकर भेजा है....

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, पहले वे धन्यवाद दे देते तो उसके बाद आपका पाईन्ट आफ आर्डर भी हो जाता।

श्री सुखलाल सैंणचा : पहले यह पाइन्ट आफ आर्डर हो जाता फिर....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। पहले उनका हो जाये उसके बाद और हो जाये।

बधाई एवं शुभकामना

श्री हरिशंकर भाभड़ा के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन सर्वोच्च है और सदन में भी आपका यह आसन सर्वोच्च है। दूसरी बार आप इस आसन को सुशोभित करने जा रहे हैं। हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई।

यह सदन, अध्यक्ष जी, आप समझते हैं, दलों में विभक्त है। माननीय सदस्य किसी न किसी दल में शामिल हैं और आप जानते हैं जहां दलों की भूमिका होती है, दलगत राजनीति आ सकती है और ऐसे अवसर सदन में उपस्थित हो सकते हैं चर्चा में कहीं कटुता आ जाय। हम जो निर्दलीय हैं और सभी दलों से जूझकर यहां आपके सामने आये हैं, हम आपका साथ देने को तैयार है। क्योंकि सदन में दो ही आशाएं हैं, या तो हम निर्दलीय जो किसी दलगत राजनीति में नहीं है, या आपका यह सर्वोच्च आसन जो आज दलगत राजनीति से ऊपर उठ चुका है।

अध्यक्ष जी, अखबारों में काफी पढ़ा और उसके बाद आज हमको इस बात की खुशी है कि आपकी इच्छा अनिच्छा होते हुए भी आपने यह आसन सुशोभित करने की स्वीकृति प्रदान की। हम बहुत आभारी हैं, बहुत खुश हैं और आपको सम्पूर्ण सहयोग हम देते रहेंगे।

धन्यवाद।

श्री सुखलाल सैंणचा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो भी बात कही उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर जनता को दिखाया जाता है, राजस्थान विधान सभा का क्वेश्चन आवर भी राजस्थान की जनता को दिखाना चाहिए ताकि जो सदस्य जीतकर आये हैं उनकी सारी भावनाएं वहां की जनता जो पता चले कि काम करते हैं या नहीं करते हैं या शोर ही करते हैं या क्या बात हैं?

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): अध्यक्ष महोदय, इस दसवीं विधान सभा में आपका अध्यक्ष पद पर निर्विरोध एक चुना जाना एक बहुत बड़ी बात है। मैं जनता दल की ओर से आपको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विधान सभा के अन्दर जनता दल एक पहचान के रूप में रह गया हैं, हम जो भी सदस्य विधान सभा के अन्दर हैं वे अपनी बात इस हाउस के अन्दर रखेंगे। आप एक अध्यक्ष के नाते, सर्वोच्च पद के नाते हम

(श्री फतेह सिंह)

पर भरोसा करेंगे और हमारी बात को सुनेंगे। मैं यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आप इस विधान सभा के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गये हैं इसके लिए मैं अपनी ओर से और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि पिछली विधान सभा में आपने जो निष्पक्ष रूख अपनाया और राजस्थान की विधान सभा का आपने हिन्दुस्तान में जो परिचय दिया है उसी तरह आप सदन की परम्पराओं को आगे बढ़ायेंगे।

इसके साथ ही पुनः मैं आपको मुबारकवाद देता हूं।

धन्यवाद।

आभार

श्री हरिशंकर भाभड़ा अध्यक्ष द्वारा आभार प्रदर्शन

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय भाटी साहब के पाइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था दूं, इस के पहले अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा और अन्त में आपकी व्यवस्था दूंगा।

सबसे पहले तो मैं दशम् विधान सभा में आप सब लोग जन-प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आये हैं उसके लिए आपका अभिनन्दन करता हूं। यह दशम् विधान सभा है और मुझे विश्वास है कि नम्बर 10 के बारे में जो धारणाएं हैं वे हम बदल देंगे और जनता को बतायेंगे कि दशम् होने के बावजूद भी राजस्थान की विधान सभा कितनी शालीनता से अपनी परम्पराओं का पालन करती है। यह अपने आचरण से हम लोगों को बता देंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है।

आज मुझे सर्वसम्मति से आप लोगों ने अध्यक्ष चुना इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। सदन के नेता, विशेष तौर से विपक्ष के नेता का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने राजस्थान की इस परम्परा को बनाये रखने के लिए बहुत प्रयास किया और आखिर उस परम्परा का निर्वहन कर लिया इस परम्परा का निर्वहन और मर्यादा को बचाना यह हमारे लिए बहुत ही शुभ बात है।

मान्यवर, भारतवर्ष में अध्यक्ष की एक बहुत विचित्र अवस्था है। एक विडम्बना है कि हमने ब्रिटिश संसदीय कार्य प्रणाली को स्वीकार किया है लेकिन उसका जो एक पहलू था वह हमने स्वीकार नहीं किया। वह पहलू जो ब्रिटिश परम्परा में है, कि अध्यक्ष हमेशा के लिए अध्यक्ष होता है, उसे किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखना होता और वह चुनावों में निर्विरोध चुना जाता है। हमने इस परम्परा को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि मैं यह आश्वासन तो आपको देता हूं कि सदन के कार्य में मैं किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करूंगा या किसी प्रकार से भी अपनी पार्टी का पक्ष नहीं लूंगा और निष्पक्ष रहूंगा, लेकिन मैं हमारी प्रथम लोक सभा के अध्यक्ष, श्री मावलंकर ने उस समय जो कहा था उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उन्हीं

(श्री अध्यक्ष)

शब्दों को आप मेरे शब्द मान ले, क्योंकि उन परिस्थितियों में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने कहा था।

"हमारे राजनीतिक तथा संसदीय जीवन की आज की परिस्थितियों को देखते हुए यह तो स्पष्ट है कि जहां तक राजनीतिक जीवन का सम्बन्ध है, अध्यक्ष राजनीति से उतना अलग नहीं रह सकता जितना कि ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स का अध्यक्ष रहता है। परन्तु भारतीय अध्यक्ष अध्यक्ष के नाते दलों से अलग रहेगा, उसका मतलब यह है कि वह दलों के विचार-विमर्श और विवादों से अलग रहेगा। परन्तु केवल इस कारण कि वह अध्यक्ष बन गया है, राजनीतिज्ञ के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। हमें अभी राजनीतिक दलों और अध्यक्ष के पद के सम्बन्ध में स्वस्थ परिपाटियों का विकास करना है। उसका सिद्धान्त यह है कि कोई व्यक्ति एक बार अध्यक्ष बन जाय तो जब तक वह अध्यक्ष बना रहना चाहे उसके निर्वाचन का विरोध कोई दल नहीं करता। वह निर्वाचन उसके निर्वाचन क्षेत्र में हो या कि सभा में। जब तक यह परिपाटी नहीं बन जाती तब तक अध्यक्ष से यह आशा करना कि वह राजनीति से सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा, परस्पर विरोधी आशाएं रखने वाली बात है। यद्यपि मैं कांग्रेसी हूं मेरा यह कर्त्तव्य और प्रयास होगा कि इस सभा के सभी भागों और सदस्यों के साथ न्याय और समता का व्यवहार करूं। यह मेरा कर्त्तव्य होगा कि तटस्थ रहूं और दलों या राजनीतिक कर्त्तव्य से ऊपर उठकर काम करूं।"

यही आश्वासन मैं अपनी ओर से आप लोगों को देना चाहता हूं। मैं भी जिस विचारधारा से बंधा हुआ हूं, उससे तो टूट नहीं सकता लेकिन इस सदन में उस विचार धारा का कोई प्रभाव अपनी व्यवस्थाएं देते समय या अपने माननीय सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करते समय नहीं होगा।

मैं यह भी जानता हूं कि इस सदन की गरिमा, आसन की गरिमा और माननीय सदस्यों की गरिमा बढ़ाना, रखना और उसका संरक्षण करने का मेरा दायित्व है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इसमें अपना सहयोग करेंगे। प्रजातन्त्र में विधायिका का सर्वोच्च स्थान है और उसी के अनुरूप उसकी गरिमा भी सर्वोच्च रहे इस बात की भी चिन्ता करेंगे। मैं तो इस सदन की गरिमा, आसन की गरिमा और माननीय सदस्यों की गरिमा को बचाने के लिये किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।

कई बार हम जब यहां वाद-विवाद करते हैं तो उस सम्बन्ध में दो-तीन बातें हमारे शास्त्रों में कही गयी है, मैं आपको हिन्दी में बता देता हूं, मैं समझता हूं, वह बहुत ही हमारे लिये गाइडिंग प्रिंसिपल होंगे। यदि हम इन तीनों का ध्यान रखेंगे तो हमारे यहां वातावरण बहुत अच्छा रहेगा।

पहली बात तो यह है कि जो तर्क न कर सके वह मूर्ख होता है। दूसरी बात यह है कि तर्क करने का साहस न करें वह गुलाम होता है और तीसरी बात यह है कि तर्क सुने नहीं वह कट्टर होता होता है। इन तीनों बातों का यदि हम

(श्री अध्यक्ष)

ध्यान रखें और फिर शालीनता से व्यवहार करें तो, मैं समझता हूं, हमारा स्तर बना रहेगा । इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ऋग्वेद में कही गयी है वह हमारी इस विधान सभा पर लागू होती है । एक वाक्य ऋग्वेद में है "अधः पश्यस्व मोपरि" बोलते समय सामने और नीचे देखें, ऊपर मत देखें, यह ऋग्वेद में लिखा है । मैं समझता हूं कि हमारी इस विधान सभा में यदि हमने इस बात का ध्यान रखा कि बोलते समय हम सामने देखें और ऊपर नहीं देखें तो शायद हम विषय से हटेंगे नहीं और अपने विषय पर जो बात कहना चाहते हैं वह बात कह सकेंगे ।

एक वाक्य और है जो महाभारत में है "वाचा दुरुक्तम् वीभत्सम् न संधोहति वाक्क्षताम् ।" पर सबसे गहरी चोट वाणी की है जो कभी मिटती नहीं है, जिसके घाव कभी भरते नहीं हैं । इसलिये हम जब डिबेट करें, वाद-विवाद करें तो अपने तर्क रखें लेकिन किसी के भी वाणी से ऐसी चोट नहीं पहुंचाएं जिसका कभी घाव भरे नहीं । यदि इतनी बातों का हमने ध्यान रखा तो मुझे विश्वास है कि हम सदस्य के नाते इस सदन में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से करते हुए इस विधान सभा की गरिमा, सदस्यों की गरिमा और इस आसन की गरिमा की रक्षा भी कर सकेंगे । आप लोगों का मुझे सहयोग मिलेगा यह तो मुझे पूरा विश्वास है और आप लोगों ने मेरे पर जो विश्वास व्यक्त किया है इसके लिए मैं आप सब को फिर से धन्यवाद देता हूं और परम पिता प्रभु से यह प्रार्थना करता हूं कि पांच साल तक इस विधान सभा में रहें ।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : पहले भी पांच साल पूरे किये नहीं और अब भी पूरे करेंगे नहीं ।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन के सदस्यों को कह रहा हूं और चूंकि मेरे विचार हैं कि विधान सभा पांच साल के लिये चुनने का जनता आदेश देती है इसलिये विधान सभाओं को केवल दो स्थिति में भंग किया जाना चाहिये । एक तो यदि विधान सभा संविधान के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित करती है या कानून पारित करती है अथवा विधान सभा अपनी कोई सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो तो इसके अलावा विधान सभा पांच साल के लिये चुनी जाती है उसको भंग नहीं किया जाना चाहिये । यदि किया जाता है, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, तो वह संविधान की मंशा और धारणा के विपरीत है । इसलिये आप पांच साल तक रहें यह शुभकामना मेरी ओर से है ।

व्यवस्था

सदन की कार्यवाही का फिल्मांकन

अब माननीय श्री भाटीजी ने जो व्यवस्था का सवाल उठाया है, जहां तक मुझे ध्यान है टेलीविजन की मांग सदन में की गयी थी और उस समय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया था कि आज तो समय नहीं है, हो नहीं सकती व्यवस्था, 30 तारीख को व्यवस्था कर दी जायेगी ।

सदन की मांग पर व्यवस्था दी और वैसे भी नियम 303 में, अध्यक्ष को अधिकार है, मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं :

20

(श्री अध्यक्ष)

"The admission of the strangers during the sittings of the House to those portions of the House which are not reserved for the exclusive use of Members shall be regulated in accordance with orders made by the Speaker."

इसलिये आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह निरस्त किया जाता है।

अब मुझे घोषणा करनी है।

श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर) : अध्यक्ष जी, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : There can not be a point of order on the point of order.

श्री सुखलाल सेंणचा : भविष्य के अन्दर यह क्वश्चन आवर है वह टी. वी. पर दिखाया जाय।

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये। पाइन्ट ऑफ आर्डर पर कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं होता।

श्री सुखलाल सेंणचा : वह तो अलग से हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पेश किया है। पाइन्ट ऑफ आर्डर मैंने अब उठाया है।

श्री अध्यक्ष : अब क्या है ? बतायें।

श्री सुखलाल सेंणचा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान की जनता ने सदस्यों को चुन कर भेजा है, पार्लियामेण्ट के अन्दर यह व्यवस्था है कि क्वश्चन आवर हिन्दुस्तान की जनता को दिखाया जाता है। राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, राजस्थान की हालत खराब है, यहां हम बैठ करके राजस्थान की जनता की भलाई के लिये जो बात करते हैं वह राजस्थान की जनता के सामने आनी चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि पार्लियामेण्ट प्रेक्टिस को देखते हुये राजस्थान के अन्दर क्वश्चन आवर टेलीविजन पर दिखाने की व्यवस्था की जाय।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप रूलिंग के प्रति मिसअण्डरस्टेण्ड न करें। मैं कहना चाहूंगा विपक्ष की तरफ से, हम प्रेरणा लें मुख्य मंत्रीजी ने शायद अपनी पार्टी की मीटिंग में कहा है कि सदस्यों को नियमों के तहत ही सदन में सामने आना चाहिये। आपने जो रूलिंग दी, अध्यक्ष महोदय मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप उसको बिल्कुल एग्जेक्टली पढ़ें :—

"The admission of the strangers during the sittings of the House to those portions of the House which are not reserved for the exclusive use of mambers; exclusive use of members, which are not reserved..."

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

यह जो वैल है, अध्यक्ष महोदय, यह एक्सक्लूजिव यूज आफ मैम्बर्स के लिये ही है। पाली जिले से आने वाले माननीय सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं लेकिन जहां तक वैल में एडमिशन है वह बिल्कुल परमिटेड नहीं हैं। यह बिल्कुल फार दी एक्सक्लूजिव यूज आफ मेम्बर्स और जो स्टाफ है विधान सभा का, जो स्ट्रेन्जर नहीं है सिर्फ उनके यूज के लिये है। मेरा आपसे एक बार और सबमिशन होगा कि हम भी चाहते हैं और खास कर मैं भी चाहता हूं कि नियमों के तहत सदन में पेश आऊं। यहां जैसा आपने फर्माया कि तर्क करना है, तो तर्क कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसको कोई प्रेस्टीज इश्यु नहीं बनाना चाह रहा हूं। आपने स्पीकर का फर्माया है वह गवर्नर के लिये स्पीकर साहब ने उस दिन जरूर मेन्शन किया था। गवर्नर का जब अभिभाषण हो, तो किसी सदस्य ने सुझाव दिया था कि साहब, टेलीविजन पर कवरेज होना चाहिये। मैं भी चाहता हूं कि कवरेज होना चाहिये लेकिन हो उस जगह से जैसा कि लोक सभा और राज्य सभा में होता है। गैलरी से हो या कोई हिडन कैमरा हो एण्ड इस पूरे सदन की कार्यवाही का कवरेज हो उससे मैं सहमत हूं लेकिन इस व्यवस्था से अभी तक मेरे विचार बिल्कुल विपरीत है और मैं असहमत हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, आपने विषय उठाया है, यह केवल व्यवस्था का सवाल नहीं है। यदि सदन ने मांग की, गवर्नर एड्रस के बारे में की और वह स्वीकार हो गयी तो मैं समझता हूं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर एड्रेस के दिन भी यदि अन्दर आ सकते हैं तो आज भी आ सकते हैं। इसलिए उसमें तो कोई अन्तर नहीं। आपका यह कहना इस मामले में सही है कि जो पार्लियामेण्ट में हो रहा है, लोक सभा में, राज्यसभा में और हमारे यहां जो हो रहा है उसमें जो अन्तर है। उस अन्तर के बारे में हम विचार करेंगे अलग से इस पर गंभीरता से विचार करने के बाद भविष्य में जब कभी कोई निर्णय होगा तो सारी बातों पर विचार करने के बाद में होगा।

अब मैं एक घोषणा करना चाहता हूं।

दलीय स्थिति

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक दल के नेता

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिये जाने की सूचना प्राप्त हुई है कि श्री परसराम मदेरणा, विधायक को उक्त विधायक दल का नेता चुना गया है।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 31 दिसम्बर, 1993 11·00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदुनन्तर सदन की कार्यवाही 12·11 बजे शुक्रवार, 31 दिसम्बर, 1993 के 11·00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)